


14/11/2020

पञ्जावली पेशा दुई श्री जोगाराम ग्राम सेवक

प) 113

उपरोक्त ग्राम सेवक ने प्रोपत्र पेश कर
निवेदन किया कि प्रकरण में जल निकासी
हेतु पाईप डालकर पानी की निकासी का
तालाब में कर दी गई है एवं सी. सी.
रोड का निर्माण कराया गया है वर्तमान
में नौके घर पानी निकासी बावत समस्या
नहीं है तथा काम रास्ते से क्वीने एवं पल्ल
हटा दिये जाये हैं। काम पूरे पर अतिक्रमण
नहीं है। हमने पञ्जावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड
का प्रतन व अवलोकन किया। प्रकरण में पानी
की निकासी होने एवं नौके घर सी. सी. रोड
खनने से कब किली प्रकार की समस्या नहीं
होने से प्रकरण का आगे चलाना उचित नहीं है।
अतः पार्सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पञ्जावली
फैसल सुनार होकर नम्बर से कम हो।


उपसहस्र अधिकारी
मुम्बई, राजपुत्र (रज)

